



फर्द अहकाम

न्यायालय उपर गड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

केस संख्या : 57/2024

मुकेश बनाम ग्यारसीलाल

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.10.2024	<p>यह दावा अधिवक्ता श्री उमाशंकर चौधरी द्वारा वावत् घोषणा, खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। रिपोर्ट सरिस्ता होकर पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित है। निर्देशित किया जाता है कि आदेश 5 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया से प्रतिवादियों को सम्मन जरिये रजि. डाक करायी जावें, इस हेतु सम्मन जारी होकर वादी को दस्ती दिया जावें। वादी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रतिवादियों को उनकी संख्या के अनुसार सादे कागज पर वादपत्र की उतनी प्रतियां इस आदेश की तिथि से सात दिवस के भीतर सम्मन की तामील के लिए अपेक्षित शुल्क के साथ पेश हो।</p> <p>उपर्युक्तानुसार सम्मन जारी होकर इन्तजार तामील दिनांक 28.10.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर) </p>	
	28/10/24	<p>पत्रावली पेश हुयी/R.O. सम्मन/कार्य कन्डोलेक्स भवन/काच/जनरल दिनांक दी गई। पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 28/10/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"></p>	
	22/11/24	<p>पत्रावली आज कमील वादी द्वारा प्रस्तुत तलब किचनारे हेतु पेश किचनारे पर तलब आ गयी। वादी स्वयं उपर कमीलवादी विद्वा पेश किचनारे वादी वाद आज नही-समानि साह्य है। वाद की विद्वा प्रस्तुत स्वीकार किचनारे आदि किचनारे जाता है पुनः वाद पेश करन पर राशि 10,000/- रुपय फाइल इन्ड।</p>	<p>मुकेश बनाम ग्यारसीलाल (वादी) Identified by Adm 22/11/24</p>